संख्या-32/2017/59 ई-2/तेरह-2017-89/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 25 जुलाई,2017

विषय:-मे0 बुन्देलखण्ड डिस्टीलरीज एण्ड ब्रिवरीज प्रा0लि0, ललितपुर द्वारा स्थापित की जाने वाली यवासवनी की क्षमता 2.0 लाख हे0ली0 से बढ़ाकर 5.0 लाख हे0ली0 किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-29/2015/1618 ई-2/तेरह-2015-89/2014, दिनांक 20-7-2015 के क्रम में अपने पत्र संख्या-जी-54/दो-प्रा0डी0-19, दिनांक 21 जुलाई,2016, पत्र संख्या-जी-88/दो-प्रा0डी0-151, दिनांक 25 अक्टूबर,2016, पत्र संख्या-जी-132/दो-प्रा0डी0-151, दिनांक 09 जनवरी,2017 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 02-12-2016 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-2389 ई-2/तेरह-89/2014, दिनांक 08 दिसम्बर,2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 बुन्देलखण्ड डिस्टीलरीज एण्ड ब्रिवरीज प्रा0लि0, ललितपुर द्वारा स्थापित की जाने वाली यवासवनी की क्षमता 2.0 लाख हे0ली0 वार्षिक के स्थान पर 5.0 लाख हे0ली0 वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

तदनुसार कृपया आगामी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।